

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या - 123/2025 (प्रार्थना पत्र)

दायर दिनांक - 24/11/2025

निर्णय दिनांक - 24/11/2025

अनवान

1. सुप्यार कंवर पुत्री अमरसिंह जाति राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि राजस्व ग्राम लसानी पटवार मण्डल लसानी के खाता संख्या 769 में प्रार्थिया की खातेदारी भूमि स्थित है। उक्त खातों में प्रार्थिया का नाम सुमीरकंवर पत्नी अमरसिंह दर्ज है जिसके स्थान पर सुप्यार कंवर पुत्री अमरसिंह शुद्धि कराए जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जांच हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को अग्रेषित किया गया। तहसीलदार, देवगढ़ की जांच रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम लसानी पटवार मण्डल लसानी के खाता संख्या 769 में सुमीरकंवर पत्नी अमरसिंह दर्ज रिकॉर्ड है। पटवार हल्का लसानी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार देवगढ़ द्वारा राजस्व ग्राम लसानी पटवार मण्डल लसानी के खाता संख्या 769 में सुमीरकंवर पत्नी अमरसिंह के बजाय सुप्यार कंवर पुत्री अमरसिंह दर्ज जाने की अनुशंसा की गई। ग्राम लसानी की जमाबन्दी संवत् 2060 में गत खसरा संख्या 1024 में सुप्यार कंवर पिता अमरसिंह दर्ज है लेकिन बन्दोबस्त जमाबन्दी में सुमीरकंवर पिता अमरसिंह दर्ज है। इसलिए उक्त लिपिकिय त्रुटि को दुरस्त किया जाना हस्तगत प्रकरण में उचित प्रतीत होता है।

--:आदेश:-

अतः धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए राजस्व ग्राम लसानी पटवार मण्डल लसानी के खाता संख्या 769 में सुमीरकंवर पत्नी अमरसिंह के स्थान पर सुप्यार कंवर पुत्री अमरसिंह नाम दुरस्ती किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। यदि कोई न्यायालय रथगन या राजकीय हित प्रभावित होता है तो तदानुसार कार्यवाही की जावे, अन्यथा निर्णय अनुसार पालना की जावे। यदि रहन का अंकन है तो तदनुसार अंकित रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 24/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।



24/11/25  
(मोहकमसिंह निरुपिणवार, R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़  
जिला राजसमन्द